संख्या-140/2016/232/22-2-2016-17(274)/2011

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त पुत्र श्री ऊदल सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जसवन्त पुत्र श्री ऊदल सिंह निवासी ग्राम-परौरा, थाना-बरला, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा घटना से पूर्व में अभियुक्त भूरा के पिता राम स्वरूप ऊर्फ नेकसे के लापता होने के शक को लेकर दिनांक 25.03.1997 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर तमन्चा, फरसे एवं ईंटों से 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-855/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 30-10-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्तों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में जमानत मुचलके पर रिहा किया जा चुका, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2016 तक 18 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार एवं 23 वर्ष 10 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावनाओ से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जसवन्त (बन्दी संख्या-6348) पुत्र श्री ऊदल सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-140/2016/232/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in